

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 474 सन 2019

अनवान :-

1. जुगलाल पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. बादलराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. दुनीराम पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. मोहनलाल पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. विमला पत्नी बंशीलाल पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. नितेश 7. ललिता पि0 बंशीलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
8. सुमन 9. विकाश 10. प्रीतम पि0 माता सरोज पुत्री बादलराम पत्नि महावीर जाति जाट निवासी जनानिया तहसील चौदाला जिला सिरसा
12. राजस्थान सरकार जयपुर तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जयपुर अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 115/104 के खसरा न0 22/4.5780 हैक , खसरा न0 43/4.2490 , 111/10.8880 , 283/2.3520 कुल 22.0680 हैक 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पतराम वल्द रामकिशन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पतराम वल्द रामकिशन के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पतराम वल्द रामकिशन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 के चार पुत्र जिसमें से बंशीलाल का देहान्त हो चुका है एवं पुत्री सरोज का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान क्रमश 5 ता 7 , 8 ता 10 है अर्थात बादलराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जो वाद भूमि के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री सरोज के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 5 वा 7 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र के वारिस है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

(2)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता पतराम वल्द रामकिशन के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 , 7, 8 ता 10 ,ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 115/104 के खसरा न0 22/4.5780 हैव , खसरा न0 43/4.2490 ,111/10.8880 ,283/2.3520 कुल 22.0680 हैव 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पतराम वल्द रामकिशन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पतराम वल्द रामकिशन के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पतराम वल्द रामकिशन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 के चार पुत्र जिसमें से बशीलाल का देहान्त हो चुका है एवं पुत्री सरोज का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान क्रमश 5 ता 7 , 8 ता 10 है अर्थात बादलराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जो वाद भूमि के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,8 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 के पक्ष में परित्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।



पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 115/104 के खसरा न0 22/4.5780 हैक , खसरा न0 43/4.2490 ,111/10.8880 ,283/2.3520 कुल 22.0680 हैक 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


मिसल बन्दोबस्त , जमाबन्दी भू0प्रबन्ध विभाग , मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद भूमि पतराम पुत्र रामकिशन के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा पतराम पुत्र रामकिशन के नाम से दर्ज है वादी के दादा पतराम पुत्र रामकिशन के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ,7, 8 ता 10 ने अपने कथनों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,8 ता 10 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतसाज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,8 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजसाज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 115/104 के खसरा न0 22/4.5780 हैक , खसरा न0 43/4.2490 ,111/10.8880 ,283/2.3520 कुल 22.0680 हैक 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 7.356 हिस्सा भूमि दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जुगलाल पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बादलराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दुनीराम पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. मोहनलाल पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. विमला पत्नी बंशीलाल पुत्र बादलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. नितेश 7. ललिता पि० बंशीलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
8. सुमन 9. विकाश 10. प्रीतम पि० माता सरोज पुत्री बादलराम पत्नि महावीर जाति जाट निवासी जनानिया तहसील चौवाला जिला सिरसा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 474 सन 2019 निर्णय दिनांक- 20/03/2020

आज यह वाद मुझे श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 115/104 के खसरा न० 22/4.5780 हैक, खसरा न० 43/4.2490, 111/10.8880, 283/2.3520 कुल 22.0680 हैक 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 7.356 हिस्सा भूमि दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)